राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार – 2017
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा
केम्प कोर्ट – रीछड़ा
पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 07 / 2015

उनवान

1– श्री राधेश्याम तिवाड़ी पिता स्व.श्री मोती लाल तिवाड़ी (शर्मा), निवासी–रीछड़ा, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।

2– श्री मोहन लाल तिवाड़ी पिता स्व.श्री मोती लाल तिवाड़ी (शर्मा),निवासी–रीछड़ा, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।

3– श्री दुर्गाशंकर तिवाड़ी पिता स्व.श्री मोती लाल तिवाड़ी (शर्मा), निवासी–रीछड़ा, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।

4– श्री कैलाश चन्द्र तिवाड़ी पिता स्व.श्री मोती लाल तिवाड़ी (शर्मा),निवासी–रीछड़ा, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।

5– श्री जगदीश चन्द्र तिवाड़ी पिता स्व.श्री मोती लाल तिवाड़ी (शर्मा), निवासी–रीछड़ा, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।

6– श्रीमती गीता देवी पुत्री पिता स्व.श्री मोती लाल तिवाड़ी (शर्मा) पत्नि श्री जगदीश चन्द्र शर्मा, निवासी– मजा, तहसील व जिला–राजसमन्दा।

––अपीलार्थीगण

बनाम

1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

2– ग्राम पंचायत रीछड़ा, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।

––प्रत्यर्थीगण

<u>अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम</u>
<u>विरूद्ध निर्णय एवं आदेश दिनांक 05.03.2012 सरपंच, ग्राम पंचायत रीछड़ा</u>

निर्णय

दिनांक 28.06.2017

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रीछड़ा, पटवार हल्का रीछड़ा में आराजी नं. 536 रकबा 02–14 बीघा, आराजी नं. 537 रकबा 04–07 बीघा, आराजी नं. 1054 रकबा 01–10 बीघा, आराजी नं. 1326 रकबा 00–02 बीघा श्रीमती काशी पत्नी मोतीलाल तिवाड़ी के खातेदारी अधिकार से राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। अपीलार्थीगण की माता श्रीमती काशी तिवाड़ी का निधन दिनांक 29.04.2011 को हो गया। अपीलार्थीगण की माता का स्वर्गवास हो जाने के कारण उक्त कृषि आराजियात का नामान्तरकरण उनके नाम पर खोलने के लिये पटवारी रीछड़ा को आवेदन किया गया। पटवारी रीछड़ा ने अपीलार्थीगण के नाम एवं श्रीमती कमला की मृत्यु दिनांक 15.02.2013 हो गई, जिनका नाम नामान्तरकरण दायर कर ग्राम पंचायत रीछड़ा में पेश कर दिया। ग्राम पंचायत रीछड़ा ने बिना कोई निर्णय पारित कर केवल "नामान्तरकरण खारीज किया जाता है" का नोट दिनांक 05–03–2012 को लगा दिया जो कि विधि विरूद्ध होकर निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थीगण ही श्रीमती काशी पत्नि मोतीलाल तिवाड़ी के एकमात्र वारीसान है, इनके अलावा और कोई वारीसान नहीं है।

अपीलार्थीगण केम्प रीछड़ा में उपस्थित, जिनके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमती काशी पत्नि मोतीलाल तिवाड़ी के वारिसान के संबंध में सजरा पेश किया

Scanned by CamScanner

गया। सजरे अनुसार वारिसान पुत्र 1–राधेश्याम 2–दुर्गाशंकर 3–मोहनलाल 4–कैलाश चन्द्र 5– जगदीश चन्द्र व पुत्री 1– कमला फौत जिनके वारीसान पुत्र 1–सुरेश, 2– दिनेश, पुत्रिया 1– शांती 2– रीनाबाई 3–टीना बाई व पुत्री 2– गीताबाई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी रीछड़ा द्वारा ग्राम रीछड़ा का नामान्तरकरण संख्या 1454 दर्ज किया गया, जिसके अनुसार उक्त आराजियात श्रीमती काशी पत्नि मोतीलाल के नाम दर्ज होने से वारिसान से श्री राधेश्याम, दुर्गाशंकर, मोहनलाल, कैलाशचन्द्र, जगदीशचन्द्र पिता मोतीलाल, गीता कमला पुत्रीयां मोतीलाल के नाम दर्ज किया गया, नामान्तरकरण को सरपंच, ग्राम पंचायत, रीछड़ा द्वारा दिनांक 05.03.2012 ''खारीज किया जाता है'' का अंकन किया हुआ है। नामान्तकरण किस कारण से खारीज किया गया, उसका कोई अंकन ग्राम पंचायत रीछड़ा द्वारा निर्णय में नहीं किया गया जबकि सजरे अनुसार वारीसान है। पुत्री कमलाबाई का स्वर्गवास, मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 15.02.2013 को हो चुकी जिनके वारीसान भी अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 28.06.2017 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सजरे में अंकित किये गये है। अपीलार्थीगण द्वारा अपील में स्व. श्रीमती कमला के वारीसान को पक्षकार नहीं बनाया गया। जमाबंदी ग्राम रीछड़ा सम्वत् 2069 से 2072 में वादग्रस्त आराजियात मु0 काशी बेवा मोतीलाल के नाम पर दर्ज होना पाया जाता है। अतः नामान्तरकरण संख्या 1454 ग्राम पंचायत रीछड़ा का निर्णय दिनांक 05.03.2012 अपास्त कर तहसीलदार भीलवाडा पुनः प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु रिमाण्ड (प्रति प्रेषित) किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर ग्राम रीछड़ा, पटवार हल्का रीछड़ा में आराजी नं. 536 रकबा 02–14 बीघा, आराजी नं. 537 रकबा 04–07 बीघा, आराजी नं. 1054 रकबा 01–10 बीघा, आराजी नं. 1326 रकबा 00–02 बीघा श्रीमती काशी पत्नी मोतीलाल तिवाड़ी के हिस्से में खातेदारी अधिकार से राजस्व रेकार्ड में दर्ज, के संबंध में नामान्तरकरण संख्या 1454 ग्राम पंचायत रीछड़ा का निर्णय दिनांक 05.03.2012 को अपास्त कर तहसीलदार भीलवाड़ा को रिमाण्ड (प्रति प्रेषित) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि श्रीमती काशी पत्नि मोतीलाल तिवाड़ी के वारीसान की जांच कर पुनः प्रकरण में नामान्तकरण की आवश्यक कार्यवाही करते हुये न्यायोचित निर्णय करें।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner